

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (161) आकाशि/नि.सं./15/1544

दिनांक:- 20 अक्टूबर, 2015

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवंटित संकाय/विषयों सहित सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 (तीन वर्ष) के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है: -

संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
नजरदेवी सेवा ट्रस्ट, प्रथम मंजिल, नवकार, श्रीकृष्ण नगर, भीलवाड़ा रोड, कांकरोली, राजसमन्द जिला- राजसमन्द ।	कौटिल्य महाविद्यालय, प्रेमपुरा मार्ग, कुवारिया, राजसमन्द, जिला- राजसमन्द ।	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	कला संकाय- अनिवार्य विषयों सहित- हिन्दी सा0, संस्कृत, अंग्रेजी सा0, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, चित्रकला ।

संस्था सत्र 2018-19 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी ।
 2. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा ।
 3. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात दो सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा ।
 4. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है ।
 5. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा ।
 6. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी ।
 7. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा ।
 8. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
 9. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूम में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
 10. संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
 11. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।
 12. संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना सगन्धक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक करवायेगी ।
 13. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015-16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा ।
 14. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के वेब पोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर्ड करवाकर DCF-II [Data capture format-II] भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा महाविद्यालय इसकी Hard Copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेब पोर्टल [know your college](http://know.your.college) पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है - 1544

Date 20.10.15

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, राजसमन्द ।
4. कुल सचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।